उच्च न्यायालय जबलपुर (म0प्र0)

दाण्डिक अपील संख्या 928/1999

अपीलार्थी –मो. अकाम खान उम्र

लगभग 20 वर्ष

पिता मोहम्मद हनीफ उर्फ

अकबर निवासी अमरपुर

थाना इंदवर, जिला –

शहडोल (म0प्र0)

बनाम

उत्तरवादी – मध्यप्रदेश शासन

अपराधिक अपील अधीन धारा 374

दंड प्रक्रिया संहिता 1973

उच्च न्यायालय बिलासपुर

(छत्तीसगढ़)

खण्ड पीठ

दाण्डिक अपील संख्या 928/1999

मो. अकरम खान

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय दिनांक

सही/—

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

08.03.2004

माननीय मुख्य न्यायाधिपति

सही/—

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 15 नवम्बर, 2004 को सूचीबद्ध किया गया

सही/—

न्यायाधीश

15.11.2004

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

कोरम : माननीय श्री ए.एस.वी.मूर्ति, सी.जे.

और माननीय श्री एल.सी.भादू,

दाण्डिक अपील संख्या/928/1999

मो. अकरम खान

बनाम.

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

उपस्थित :

श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी के वकील।

श्री रवींद्र अग्रवाल, राज्य के पैनल वकील।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(पारित 8 अक्टूबर, नवंबर, 2004)

निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू के न्यायालय द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलार्थी महमूद अकरम खान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत यह अपील सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 15/98 में दिनांक 26 फरवरी, 1999 को पारित दोषसिद्धि और दंड के निर्णय के फसले से व्यतित होकर प्रस्तुत की है, जिसके अधीन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
2. सह–अभियुक्त महेन्द्र कुमार पर भी वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध करने का आरोप लगाया गया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध करने का दोषी ठहराया गया और उसे दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भगतना होगा।

3. इस अपील के निराकरण के लिए आवश्यक अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि मृतक अब्दुल गफ्फार ओबेरॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी, रायपुर में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। अभियुक्त अपीलार्थी भी उसी कंपनी में ड्राइवर के रूम में काम कर रहा था। 10.11. 1997 की, माल के परिवहन के संबंध में अभियुक्त अपीलार्थी और मृतक के बीच कुछ विवाद हुआ। आरोपी अपीलार्थी तुरंत घटनास्थल से चला गया और कुछ समय बाद चाकू लेकर आया और अब्दुल गफ्फार के पेट और छाती पर वार किया। अपराध को हेल्पर सुरेश उदिया और ओबेरॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी के अन्य लोगो ने देखा था। घायल अब्दुल गफ्फार को तुरंत गायत्री अस्पताल ले जाया गया और वहां उसे भर्ती कराया गया, जहां उसने बी. के. उड़के, निरीक्षक, पुलिस स्टेशन सरस्वती नगर को बयान प्रदर्श पी/25 दिया। श्री बी. के उड़के ने साक्ष्य प्रदर्श पी 25 अभिलिखित करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन आमानाका को भेज दिया, जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ था। कथन प्राप्त होने पर प्रभारी थाना आमानाका ने धारा 307 भादवि के प्राथमिकी प्र.पी./23 के प्रकरण पंजीबद्ध किया। तत्पश्चात थाना आमानाका को गायत्री अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि घायल अब्दुल गफ्फार की दिनांक 11.11.1997 की सुबह 2.35 बजे मृत्यु हो गई है। अतः अपराध को धारा 302 भा.द.वि. में परिवर्तित किया गया। महेंद्र कुमार मिश्रा ने जांच शुरू की, वे गायत्री अस्पताल पहुंचे। गवाहो को प्र.पी./13 की सूचना देने के बाद उन्होंनै मृतक मृतक प्र.पी. 14 के शव का पंचनामा तैयार किया। पोस्टमार्टम डॉ. संजय कुमार दादू ने किया, उन्होने पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट प्र पी/6 तैयार की। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने अस्पताल से उपचार के कागजात प्र पी/10 को भी अपने कब्जे में लिया। पूर्व पी/12 का मृत्युपूर्व कथन उपचार करने वाले डॉक्टर डॉ. अरूण मंधारिया ने अन्य डॉक्टर अखिलेश दुबे की मौजूदगी में दर्ज किया। जांच अधिकारी ने आरोपी के खून से सने कपड़े और मृतक के खून से सने कपड़े भी कब्जे में लिए। मृतक। पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त अपीलार्थी जानकारी दी जिसमें उसने बताया कि उसने चाकू महेंद्र मानिकपुरी को दिया था और उसके बाद वह महेंद्र कुमार मानिकपुरी के पास के पास पहुंचा, जिसने मेमोरेंडम दिया और जिसके अनुसरण में चाकू रेलवे स्टेशन के पास पानी से बरामद किया गया। खून से सने कपड़ों को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर भेजा गया, जहां से एक्स. पी 40 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जहां से खून से सने सामान को सीरोलॉजिस्ट द्वारा जांच के लिए भेजा गया और सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट कलकत्ता से प्राप्त हुई। जांच पूरी होने के बाद आरोपी अपीलार्थी के साथ सह–आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए सभी 20 गवाहों की जांच की तथा दूसरी ओर अभियुक्त अपीलार्थी का बयान द.प्र.सं. की धारा 313 के दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के आरोप से इन्कार किया तथा कहा कि उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है।

5. हमने अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी और राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रविन्द्र अग्रवाल को सुना है।

6. जहां तक अब्दुल गफ्फार की मृत्यु के मानववध प्रश्न होने का सवाल है, अभियुक्त अपीलार्थी के विद्वान ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है। वैसे भी, अ.सा. –7 के साक्ष्य के अनुसार डॉ. संजय कुमार दादू जिन्होंने 11.11.1997 को पोस्टमार्टम किया था, ने कहा है कि उन्होंने मृतक के पेट पर टांके लगे घाव को देखा था और उनकी राय में अब्दुल गफ्फार की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव और पेट पर चाकू के घाव के परिणाम स्वरूप सदमा था और मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। इसलिए उपरोक्त साक्ष्य और अब्दुल गफ्फार के मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श पी/12 और प्रदर्श पी/25 के दृष्टिकोण में साबित होता है कि अब्दुल गफ्फार की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अब अब्दुल गफ्फार की हत्या में अभियुक्तः अपीलार्थी की संलिप्तता के प्रश्न पर आते हैं, प्रत्यक्षदर्शी सुरेश उदिया को न्यायालय मे पेश नही किया गया है। गवाह पेटी और अन्य गवाह मुकर गए है, इसलिए, दोषसिद्धि मृतक के मृत्यु पूर्व दिए गए कथन अर्थात डॉ. अरूण मंधारिया द्वारा दर्ज प्रदर्श पी/12 और बी के उड़के द्वारा दर्ज प्रदर्श पी/25 के आधार पर होती है, साथ ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कि चाकू अभियुक्त अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद किया गया था और मृतक और अभियुक्त के रक्त समूह का खून मृतक के कपड़ों पर पाया गया था और मृतक के कपड़ो पर चाकू के काटने के निशान पाए गए थे, जो मृतक अब्दुल गफ्फार के शरीर पर चोटो के अनुरूप थे।

8. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भी दोषसिद्धि को चुनौती नही दी है बल्कि उन्होंने केवल यह तर्क दिया है कि अभियुक्त ने अचानक झगड़े में तथा आवेश में आकर मृतक अब्दुल गफ्फार की हत्या करने के आशय के बिना ही उस पर हमला कर दिया था, इसलिए यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II से आगे नही जाता है, इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत गलत रूप से दोषी ठहराया गया है।

9. डॉ. अरूण मंधारिया अ.सा. –15 द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूव्र कथन प्र.पी/12 में मृतक अब्दुल गफ्फार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उस पर चाकू से वार किया। उक्त मृत्यु पूर्व कथन को डॉ. अरूण मंधारिया तथा उपचार में सहायता करने वाले डॉ. अखिलेश दुबे (अ.सा. –10) द्वारा सिद्ध किया गया है, उन्होने कहा है कि मृत्यु पूर्व कथन अब्दुल गफ्फार द्वारा उनका उपस्थिति में दिया गया था तथा डॉ. अरूण मंधारिया द्वारा दर्ज किया गया था। इसके अलावा मर्ग सूचना के रूप में एक अन्य मृत्यु पूर्व कथन (प्र.पी/25) बी.के. उड़के निरीक्षक, पुलिस स्टेशन सरस्वती नगर द्वारा दर्ज किया गया था तथा बी.के. उड़के (पी. डब्लू. 19) द्वारा भी इसे सिद्ध किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्र.पी/25 अब्दुल गफ्फार द्वारा दिया गया था, जब वह गायत्री अस्पताल में भर्ती था। इसलिए, उपरोक्त मृत्युकालिक कथन की दृष्टिकोण में हम इस राय पर पहुंचे हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह उचित अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ही प्रश्नगत अपराध का रचयिता था।

10. इसके अलावा, अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृतक के कपड़े बरामद किए गऐ थे, कपड़े खून से सने हुए थे और उन्हें पुलिस द्वारा सीरोलॉजिस्ट जांच के लिए भेजा गया था और सीरोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/39 में उल्लेख किया है कि शर्ट, बनियान और फुल पैंट बरामद किए गए थे। समूह 'ए' के मानव रक्त से सना हुआ था और गायत्री अस्पताल के एक्स पी/10 की रक्त रिपोर्ट के अनुसार मृतक का रक्त समूह 'ए' था। इसलिए, सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट और गायत्री अस्पताल की रक्त रिपोर्ट के आधार पर यह साबित होता है कि आरोपी के कपड़ो पर जो खून मिला था, वह मृतक का था। इसके अलावा, मृतक के शरीर पर चाकू के वार के निशान के अनुरूप, मृतक की शर्ट और बनियान में भी कट के निशान पाए गए थे इसलिए उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य मृतक के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की पुष्टि करते है। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्यों से अब्दुल गफ्फार को चाकू मारने में आरोपी की संलिप्तता साबित होती है।

11. अब इस प्रश्न पर आते है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कौन सा अपराध किया गया था, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को समझने के लिए यदि हम मृतक द्वारा दिए गए मृत्यु पूर्व कथन प्रदर्श पी/25 और प्रदर्श पी/12 को देखें, तो इन दोनों दस्तावेजो में अब्दुल गफ्फार द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी और मृतक ओबेरॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करते थे और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 10.11.1997 को शाम को लगभग 5.30 बजे माल के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परिवहन को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ, ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने अभियुक्त मोहम्मद अकरम खान घटनास्थल से चला गया लेकिन कुछ देर बाद वह चाकू लेकर आया और उसने छाती और पेट पर वार किया। यदि हम उपरोक्त तथ्यों पर गौर करें तो दोनों के बीच कोई पूर्व दुश्मनी नही थी और अभियुक्त का कृत्य पूर्व नियोजित और पूर्व –निर्धारित नही था अचानक और आवेश मे जाकर अभियुक्त चाकू लेकर आया और मृतक पर हमला कर दिया, इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य से यह अनुमान नही लगाया जा सकता है कि आरोपी/अपीलार्थी ने मृतक को शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से चाकू मारा जो सभी संभावनाओं में मृतक अब्दुल गफ्फार की हत्या करने के लिए पर्याप्त था। अभियुक्त का कृत्य पूरी तरह से धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है जो कहता है कि 'यदि यह अचानक लड़ाई में बिना सोचे–समझे, अचानक झगड़े के बाद आवेश में और बिना किसी पूर्व सूचना के किया जाता है तो अपराधिक मानव वध है जो कि हत्या नही है। अपराधियों ने अनुचित लाभ उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया। इस दृष्टिकोण के लिए, हम महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 1996 (6) सुप्रीम केस 609 में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निणर्य से पुष्ट होते हैं। उस प्रकरण के तथ्य ये थे कि मृतक ने अपीलार्थी पर आपत्ति जताई थी कि उसके मवेशियों को फसल को नुकसान न पहुंचाने दें। यद्यपि अपीलार्थी ने मृतक के अनुरोध पर कोई ध्यान नही दिया और जोर देकर कहा कि वह उस खेत में मवेशियों को चराएगा और मृतक और अभियुक्त के बीच विवाद हुआ। उस प्रक्रिया में अपीलार्थी ने मृतक कृष्ण कुमार के सिर पर फरसा से वार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इन तथ्यो के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंकार किया कि इन परिस्थियों में, अभियुक्त ने बिना किसी पूर्वचिंतन के अचानक झगड़े के दौरान मृतक पर हमला किया, इसलिए अपराध भा.द.सं. की धारा 300 के अपवाद –4 के अंतर्गत आएगा। इसलिए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग । के दोषी ठहराया गया था। राजस्थान राज्य बनाम सत्यनारायण के एक अन्य प्रकरण में 1998 (1) सुप्रीम 433 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था। उस प्रकरण का तथ्य यह था कि अभियुक्त सत्यनारायण भीमा का पड़ोसी था। भीमा की पत्नी भोरीदेवी और अभियुक्त के बीच कुछ झगड़ा हुआ और उसके और अभियुक्त सत्यनारायण के बीच शब्दो का आदान–प्रदान हुआ। उस प्रक्रिया में अभियुक्त ने भोरीदेवी पर लोहे के पाइप से हमला किया। उसने राम गोपाल की भी घायल कर दिया और फिर अपने घर वापस चला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया। उस समय तक भीमा का भाई केसर लाल (मृतक) अभियुक्त के घर के पास गया और अभियुक्त से पूछने लगा कि वह सुबह किस बात के लिए इस प्रकार विवाद कर रहा था इसके बाद अभियुक्त चाकू लेकर अपने घर से बाहर आया और केसर लाल के पेट पर वार किया जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आते बाहर आ गई और उसकी मृत्यु हो गई इन तथ्यों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरवादी ने राम गोपाल या केसर लाल के किसी महत्वपूर्ण अंग पर वार नही किया था। वार राम गोपाल पर लक्षित था, लेकिन जैसे ही वह तरफ हटा, वार केसरलाल के पेट पर लगा। इसलिए, न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी को भा.द.स. की धारा 304 भाग –1 के दोषी ठहराया जाना चाहिए था, न कि धारा 302 के इसी तरह शनमुगम उर्फ कुलंदैवेलु बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, 2003 में रिपोर्ट किया गया। Cr. L.J. 418 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा लाई गई घटना की उत्पत्ति एक छोटे से झगड़े से ज्ञात होता है जो मृतक द्वारा सीटी बजाने के कथित दुर्व्यहार के लिए दी गई फटकार से शुरू हुई होगी। अचानक, वह उसके घर में घुस गया, हथियार उठाया और मृतक पर हमला कर दिया और उसे चोट पहुंचाई। उस प्रकरण के तथ्य यह थे कि 17.11.1989 को मृतक बोरवेल से पानी लाने के लिए अपने खेतों के पास की जमीन पर गया था। जब उसने अपने बड़े भाई अर्थात् अभियुक्त को उस जगह सीटी बजाते हुए पाया, तो उससे पूछा कि वह महिलाओं के आने–जाने वाली जगह पर सीटी क्यों बजा रहा है। इस पर आरोपी क्रोधित हो गया और अपनी झोपड़ी की ओर भागा, मृतक ने उसका पीछा किया ओर पूछा कि वह क्यों भाग रहा है। कुछ ही मिनटों में, वह एक बरछी के साथ अपनी झोपड़ी से बाहर आया, पास के मक्के के खेत के पास छिप गया और मृतक पर झपट पड़ा तथा उसके पेट और सीने में चाकू से वार किया। इन तथ्यो के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304–1 के अपराध बनता है।

12. अतः वर्तमान प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के तहत हमारा मत है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग –1 से आगे नही जाता है।

13. परिणाम स्वरूप, अभियुक्त/अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और दंड को रद्द करते हुए, इसके

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बजाय अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304—1 के अधीन दोषी ठहराया जाता है और उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1000/— रूपये का जुर्माना देने का दंड पारित किया जाता है, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उसे 5 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अन्वेषण तथा विचारण के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी जितनी अवधि तक पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा में रहा, वह उसे दिए गए दंड के विरूद्ध समायोजन के लिए हकदार है।

सही /—	**सही/—**
मुख्य न्यायाधीश	**एल.सी.भादू**
न्यायधीश	**न्यायधीश**

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Purnendra Khichariya